न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या –11 /2018

अनवान

1 बरकतअली पिता मोहम्मद हनीफ सलावट उम्र वयस्क निवासी बनेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

2 हदीशन बेवा मोहम्मद हनीफ सलावट उम्र वयस्क निवासी बनेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

.... वादीगण

बनाम

1 चान्द मोहम्मद पिता मोहम्मद हनीफ सलावट उम्र वयस्क निवासी बनेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

2 सैयद अली पिता मोहम्मद हनीफ सलावट उम्र वयस्क निवासी बनेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

3 राज. राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0

.... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::– **श्री कृष्णकुमार जीनगर वकील वादी**

–:: निर्णय ::–

दिनांक 27.02.2018

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके बनेडा पटवार हल्का क्षैत्र बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा स्थित खतौनी संख्या 863 के आराजी संख्या 5582, 5583, 5584, 5585, 5586, 5587, 5588, 5589 कुल किता 8 कुल रकबा 14–16 बीघा भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता/पति मोहम्मद हनीफ पिता निजामुदीन सलावट बतौर खातेदार काश्तकार के नाम से जमाबन्दी सम्वत् 2036 से 39 राजस्व रेकार्ड में चली आ रही थी। वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता/पति मृतक मोहम्मद हनीफ पिता निजामुदीन सलावट की विरासत से खुले नामान्तकरण में वादीगण संख्या 01 का नाम बरकत अली के स्थान पर बख्त अली व वादीया संख्या 02 का नाम हदीशन के स्थान पर हदीशा के नाम राजस्व कर्मचारीयों द्वारा भूलवश दर्ज कर दिया गया है। अतः वादपत्र की कलम संख्या 01 वर्णित वादग्रस्त आराजीयात में बख्त अली पिता मोहम्मद हनीफ व हदीशा पत्नि मोहम्मद हनीफ सा0 देह खातेदार के बजाय बरकत अली पिता मोहम्मद हनीफ व हदीशन पत्नि मोहम्मद हनीफ सा0 देह खातेदार को राजस्व रेकार्ड में हुए त्रूटीपूर्ण अंकन को दुरूस्त किये जाने की डिक्री सादर फरमाई जावें।

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

2. प्रकरण को दिनांक 05.01.2018 को बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विंपक्षीगणो को मामले में वजह जाहिर करने के लिए जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया गया । प्रतिवादीगण संख्या 03 राज्य पक्ष तहसीलदार बनेडा नियत सुनवाई पर उपस्थित होकर मामले में कोई आपत्ति होना जाहिर नही किया। विपक्षीगण संख्या 01 व 02 सूचित होने के बावजूद भी नियत सुनवाई पर अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रकरण के शीघ्र निस्तारण की भावना से प्रेरित होकर वादी अधिवक्ता ने वादीगण की शहादत्त में वादीगण संख्या 01 व 02 के शपथपत्र प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुत शपथपत्रों पर कमशः पी.डब्ल्यू–01 व पी.डब्ल्यू–02 का लाल स्याही से अंकन कर उपस्थित वादीगण/गवाहान के आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये गये। वादपत्र के अन्तिम निपटारे के लिए वादीगण मय अधिवक्ता उपस्थित होकर वादपत्र स्वीकार किये जाने की ईस्तदुआ न्यायालय के समक्ष अपने अभिवचनों से जाहिर की।

3. वादीगण को सुना गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य, वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत वादीगण/गवाहान के शपथपत्र एंव वादपत्र का अध्ययन एवं मनन उपरान्त वादी द्वारा वादपत्र के साथ पहचान आधारकार्ड आदि रेकार्ड, से यह प्रमाणित होता है कि वादीगण का नाम बरकत अली पिता मोहम्मद हनीफ सलावट व हदीशन बेवा मोहम्मद हनीफ सलावट निवासी बनेडा है। उपरोक्त विवेचन एंव विश्लेषण के परिणामस्वरूप तथा प्रस्तुत आधार राजस्व अभिलेखों के भी बारीकी से अध्ययन उपरान्त वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र न्यायालय स्वीकार किये जाने योग्य मानता है।

–::आदेश::–

वादीगण का वादपत्र बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के स्वीकार किया जाकर वाके बनेडा पटवार हल्का क्षैत्र बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा स्थित खतौनी संख्या 863 के आराजी संख्या 5582, 5583, 5584, 5585, 5586, 5587, 5588, 5589 कुल किता 8 कुल रकबा 14–16 बीघा राजस्व रेकार्ड में वादीगण का नाम बख्त अली पिता मोहम्मद हनीफ सलावट व हदीशा पत्नि मोहम्मद हनीफ सलावट सा0 देह खातेदार के बजाय बरकत अली पिता मोहम्मद हनीफ सलावट व हदीशन पत्नि मोहम्मद हनीफ सलावट सा0 देह सा0 देह खातेदार दुरस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाकर इस आशय की अन्तिम डिकी पारित की जाती है। अन्तिम ड्रिक्री की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा तरतीब किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर

(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या –11 /2018

अनवान

1 बरकतअली पिता मोहम्मद हनीफ सलावट उम्र वयस्क निवासी बनेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

2 हदीशन बेवा मोहम्मद हनीफ सलावट उम्र वयस्क निवासी बनेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

.... वादीगण

बनाम

1 चान्द मोहम्मद पिता मोहम्मद हनीफ सलावट उम्र वयस्क निवासी बनेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

2 सैयद अली पिता मोहम्मद हनीफ सलावट उम्र वयस्क निवासी बनेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

3 राज. राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0

.... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::– श्री कृष्णकुमार जीनगर ....वकील वादी

दिनांक– 27.02.2018

वादीगण का वादपत्र बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के अन्तर्गत धारा 88–89–90–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार किया जाकर वाके बनेडा पटवार हल्का क्षैत्र बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा स्थित खतौनी संख्या 863 के आराजी संख्या 5582, 5583, 5584, 5585, 5586, 5587, 5588, 5589 कुल किता 8 कुल रकबा 14–16 बीघा राजस्व रेकार्ड में वादीगण का नाम बख्त अली पिता मोहम्मद हनीफ सलावट व हदीशा पत्नि मोहम्मद हनीफ सलावट सा0 देह खातेदार के बजाय बरकत अली पिता मोहम्मद हनीफ सलावट व हदीशन पत्नि मोहम्मद हनीफ सलावट सा0 देह खातेदार दुरस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाकर इस आशय की अन्तिम डिकी पारित की जाती है। डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। तहसीलदार बनेड़ा तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

डिकी आज दिनांक 27.02.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

(रतनलाल रेगर)

उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा

जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी

बनेड़ा (भीलवाड़ा)